

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2345

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2025/ 13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

अन्य देशों में अंतरित किया गया काला धन

2345. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आयकर से बचने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से अन्य देशों में काला धन अंतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा वर्ष-वार और बैंक-वार अंतरित की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लेनदेन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर:

**वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)**

(क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 195 सहपठित आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीबी के तहत विदेश में धन प्रेषण करते समय स्रोत पर कर कटौती अनिवार्य है। ऐसे प्रत्येक प्रेषण के साथ अनिवासी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा फॉर्म 15सीए में स्व-घोषणा और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फॉर्म 15सीबी में एक प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उसने संबंधित करार/दस्तावेजों की जाँच कर ली है। अधिकृत डीलर द्वारा किए गए प्रेषणों के संबंध में फॉर्म 15सीसी में तिमाही विवरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त आउटबाउंड धन प्रेषण की निगरानी बढ़ाने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी प्रेषण पर स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) को वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा पेश किया गया तथा यह 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है। ये उपाय वित्तीय अनुशासन में सुधार करते हैं और सरकार को औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेशों में धन के प्रवाह में व्यापक दृश्यता प्रदान करते हैं।

ऐसे प्रेषणों के मामलों जिनमें कर-चोरी संबंधी आय या काले धन का पता चलता है उनमें आयकर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। इन कार्रवाइयों में तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, निर्धारण, कर लगाना, जुर्माना लगाना और जहाँ भी लागू हो, आपराधिक अदालतों में मुकदमा चलाना शामिल हैं।

तथापि ऐसे सभी मामलों में विदेश भेजी गई धनराशि से संबंधित आंकड़े प्रत्येक मामले में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सरकार ने बैंकों के माध्यम से कर अपवंचन से की गई आय को विदेशों में ट्रांसफर करने की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में नीति-स्तरीय पहल, जमीनी स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई, क्षमता निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से डेटा एकीकरण और खोज पर उचित ध्यान देने के साथ-साथ मजबूत विधायी और प्रशासनिक ढाँचे, प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करना शामिल हैं। ऐसे लेनदेन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियाँ) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, , विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे से विशेष रूप से तथा प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है, को दिनांक 01.07.2015 से लागू किया गया है।

(ii) विदेशों में अघोषित धन जमा करने से संबंधित मामलों में विभिन्न एजेंसियों के बीच नीति और जांच में समन्वय स्थापित करने के लिए मई 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

(iii) विदेशों में जमा काले धन के संबंध में जब भी कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वह एचएसबीसी मामले हों, आईसीआईजे मामले हों, पैराडाइज पेपर्स हों या पनामा पेपर्स सरकार ने सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। इन कदमों में संबंधित मामलों में बहु-एजेंसी समूह का गठन, विदेशी क्षेत्राधिकारों से निश्चित जानकारी मंगवाना, काले धन को संबंधित कानून के तहत कर के दायरे में लाना, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाना आदि शामिल हैं।

(iv) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को अनुसूचित आर्थिक अपराधों से जुड़े अपराधिक की आय और भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का प्रावधान करने और उन्हें भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है।

(v) भारत सरकार सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में रही है, तथा उसने अन्य देशों के साथ कर संधियाँ की हैं, जिनमें दोहरा कराधान परिहार समझौते, कर सूचना आदान-प्रदान समझौते, कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय कन्वेंशन तथा सार्क बहुपक्षीय समझौता शामिल हैं, जो करों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं।

(vi) भारत भी सामान्य रिपोर्टिंग मानक के आधार पर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) में शामिल हो गया है और उन अन्य देशों में भारतीय निवासियों की वित्तीय लेखा संबंधी सूचना प्राप्त करता है जिनके साथ AEOI संबंध सक्रिय है। भारत ने वित्तीय लेखा सूचना को स्वचालित आधार पर साझा करने के लिए 2015 में अमेरिका के साथ एक अंतर-सरकारी समझौता (IGA) भी किया है।

(vii) स्वचालित सूचना विनिमय के तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विदेशी परिसंपत्ति मामलों में त्वरित जाँच सहित प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों में तलाशी, जांच, पूछताछ, आय का आकलन, कर, दंड आदि लगाना और जहाँ भी लागू हो, आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन दायर करना शामिल है।

(viii) उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान, संदिग्ध मामलों के त्वरित ई-सत्यापन और उपयुक्त मामलों में परिणामी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण संबंधी टूल्स का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

(ix) सरकार ने काले धन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में बड़ी संख्या में विधायी प्रावधान किए हैं।

(x) सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, जिससे न केवल पैन के डि डुप्लिकेशन में सहायता मिलेगी, बल्कि संभावित कर धोखाधड़ी को भी रोका जा सकेगा।

(xi) आयकर विभाग द्वारा नवंबर 2024 में करदाताओं के विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा के स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार लाने के लिए NUDGE (नॉन इनट्रूसिव यूज़ेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल टेक्सपेयर) करदाता अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत उन चयनित निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए थे, जिनके संबंध में स्वचालित सूचना के आदान-प्रदान के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके पास विदेशी परिसंपत्ति है और/या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वे अपने आयकर रिटर्न में विदेशी परिसंपत्ति और विदेशी स्रोतों से आय को सटीक ढंग से रिपोर्ट कर सकें। कुल 24,678 करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित आईटीआर में अपनी विदेशी परिसंपत्ति और आय की सूचना दी, जबकि 5,483 करदाताओं ने विलंबित रिटर्न दाखिल करते हुए ₹29,208 करोड़ की विदेशी परिसंपत्ति और ₹1,089.88 करोड़ की विदेशी आय रिपोर्ट की।
